न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 57/2016/223 आर टी ए

सरस्वती पत्नि दुलीराम जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. हरपालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जाट निवासी मेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अजय कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्राज पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. विजय सिंह पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. शीशपाल पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. रामचन्द्र पुत्र तनसुखराम जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. हरबंतसिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. बलकरणसिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. रामनारायण पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. भागीरथ पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. आशीदेवी पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. नत्थुराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. रामसिंह पुत्र दौलतराम (फौत)

14/1 कौशल्या देवी पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14/2 किरण पुत्री रामसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कौशल्या देवी पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14/3 धर्मेन्द्र पुत्र रामसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कौशल्या देवी पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

14/4 नीतू पुत्री रामसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कौशल्या देवी पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

15. विमला पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
16. बरजी देवी पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
17. देवीलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
18. फोहिया देवी पत्नि हरीराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19. जगदीश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
20. दलीप पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21. हनुमान पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
22. लालचंद पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
23. बृजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
24. सन्तोष कुमारी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
25. सुभाष कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
26. रामेश्वरी पत्नि बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
27. ओमप्रकाश पुत्र बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
28. रामकुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
29. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
30. महेन्द्र कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
31. भागवंती पुत्री बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
32. प्रेमलता पुत्री बलराम जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
33. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
34. कलवंत पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
35. अश्वनी कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

36. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.14 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं. 669/2013 अनवानी हरपालसिंह बनाम अजयकुमार

उपस्थित :—

श्री मदन मूंड अधिवक्ता अपीलांट

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1ता4, 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 36

निर्णय दिनांकः—15.11.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर चक 650 आरडी के खाता सं. 150/75 की कुल 11.701 है0 भूमि बाबत खाता विभाजन हेतु अनुतोष चाहा। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने आपस मे राजीनामा प्रस्तुत किया व अन्य रेस्पो0 सं. 10 ता 35 व अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके मुताबिक राजीनामा वाद अन्तिम डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष के विपरीत व मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन वाद खाता विभाजन हेतु था। वादग्रस्त भूमि का सहकाश्तकार प्रतिवादी सं. 13 रामसिंह पुत्र दौलतराम का देहान्त हो चुका था परन्तु मृतक सहकाश्तकार के वारिसान को वाद मे पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय मे वाद प्रस्तुत होने के पश्चात सहकाश्तकारो को वाद की सूचना हेतु कोई सम्मन जारी नही किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद दिनांक 26.08.13 को दर्ज रजिस्टर किया गया व उसके पश्चात दिनांक 03.04.14 तक वाद मे सम्मन तलवाना पेश होने पर जारी करने हेतु लम्बित रहा व दिनांक 20.05.14 करे बिना साधारण व रजिस्टर्ड सम्मन दिये आवेदन पेश करके प्रतिवादीगण के विरूद्ध अखबार मे सम्मन प्रकाशन करने

हेतु निवेदन किया व विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.05.14 को ही वाद के सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अखबार मे नोटिस साया करके दिनांक 26.05.14 को स्थानीय अखबार की प्रति पेश की व पत्रावली वास्ते इंतजार रखी एवं दिनांक 04. 06.14 को रेस्पो0 सं. 1 ता 9 ने राजीनामा पेश किया व दिनांक 04.06.14 को वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया। वादग्रस्त भूमि के अन्य सहकाश्तकारो की भूमि के हिस्सा व कब्जा काश्त के संबंध मे कोई जांच नही की।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 ता 9 द्वारा राजीनामा मे अंकित भूमि का उन्हे खातेदार घोषित करके विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की है जबकि विचारण न्यायालय को सम्पूर्ण भूमि के संबंध मे प्राथमिक डिक्री पारित करके विभाजन प्रस्ताव आने पर अन्तिम डिक्री पारित करनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानो को अनदेखा करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वर्णित भूमि चक 650 आरडी मे अपीलांट का कुल 0.506 है0 हिस्सा था व अपीलांट उक्त चक के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 9 व 13 पर काबिज थी परन्तु विभाजन मे उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 व 3 को दे दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तथा रेस्पो0 2 ता 9 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने पर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया है। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया हुआ था जिसके अनुसार राजीनामा प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई अवसर तथा न ही खाता तकसीम के वाद मे विधिनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है। मात्र वाद के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण को बिना सुने वाद अन्तिम डिक्री कर दिया गया जबकि वाद मे कुल 35 प्रतिवादीगण/सहकाश्तकार है केवल कुछ प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर विभाजन का दावा अन्तिम डिक्री नही किया जा सकता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त पक्षकारान/सहकाश्तकार की सहमति/राजीनामा नही होने पर वाद प्राथमिक किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.14 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद विभाजन हेतु प्राथमिक

डिक्री पारित की जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ